गर्भधारण पूर्व और प्रसूति पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994

(1994 का अधिनियम संख्यांक 57)

(20 सितम्बर, 1994)

[1][*प्रसूति पूर्व अथवा पश्चात् लिंग चयन के लिये, तथा आनुवंशिक विकारों या उपापचयी विकारों या गुणसूत्री विकारों या कुछ जन्मजात विषमताओं या यौन संबंधी विकारों का पता लगाने के लिये प्रसूति पूर्व परीक्षण तकनीक के नियमन के लिये और इनका दुरुपयोग लिंग पता कर कन्या भ्रूण की हत्या को रोकने के लिये तथा उससे संबंधित या आनुषंगिक मामलों के लिये यह अधिनियम।*]

भारत गणराज्य के पैंतालीस वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो—

अध्याय - 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ— (i) यह अधिनियम [1][**गर्भधारण पूर्व और प्रसूति पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994** कहा जावेगा।

(ii) इसका विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य के अलावा सम्पूर्ण भारत पर होगा।

(iii) यह ऐसी दिनांक से अपने अस्तित्व में आवेगा जिस दिनांक को केन्द्र सरकार अपने राजकीय गजट में प्रकाशित किया जावेगा।

2. परिभाषाएँ— इस अधिनियम में जब तक अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) **''समुचित प्राधिकारी''** से अर्थ धारा 17 के अंतर्गत नियुक्त समुचित प्राधिकारी से है;

(ख) **''मंडल''** से अर्थ धारा 7 के अंतर्गत गठित केन्द्रीय पर्यवेक्षणीय मंडल से है;

[1][(खक) **''कान्सेप्टस''** से अभिप्रेत है गर्भधारण का कोई भी उत्पाद, जो फर्टिलाइजेशन से जन्म तक के विकास के स्तर का हो, तथा इसमें एक्सट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स के साथ-साथ एम्ब्रियो या फोइटस भी सम्मिलित है;

(खख) **''गर्भ का भ्रूण''** से अभिप्रेत है फर्टिलाइजेशन के पश्चात् आठ सप्ताह (56 दिवस) के अंत तक की विकासशील मानव रचना;

(खग) **''गर्भस्थ शिशु''** से अभिप्रेत है फर्टिलाइजेशन या क्रियेशन के सत्तावनवें दिन (वह काल जिसमें उसका विकास अवरुद्ध हो गया हो, को छोड़कर) से शुरू होकर जन्म के समय तक की मानव रचना;]

(ग) **''आनुवंशिक परामर्श केन्द्र''** से अर्थ कोई संस्थान, अस्पताल, परिचर्या गृह या अन्य कोई स्थान जिसे किसी भी नाम से जाना जाता है तथा जो रोगियों को आनुवंशिक परामर्श प्रदान करता हो;

(घ) **''आनुवंशिक क्लिनिक''** से अर्थ कोई संस्थान, अस्पताल या परिचर्या गृह या अन्य कोई स्थान जिसे किसी भी नाम से जाना जाता हो तथा जिसका प्रयोग प्रसूति पूर्व निदान के लिये किया जाता है;

---

1. अधिनियम क्र. 14 सन् 2003 द्वारा प्रतिस्थापित/अंत:स्थापित।

स्पष्टीकरण.— इस खंड में ''आनुवंशिक क्लिनिक'' में कोई वाहन, जिसमें अल्ट्रासाउण्ड मशीन या इमेजिंग मशीन या स्कैनर या अन्य उपकरण जो कि गर्भस्थ शिशु का लिंग पता करने में समर्थ है या कोई पोर्टेबल उपकरण जो गर्भधारण के समय लिंग का पता लगाने या प्रसूति के पूर्व लिंग चयन में समर्थ है, उपयोग हुआ हो, सम्मिलित है।]

''आनुवंशिक प्रयोगशाला'' से अर्थ एक प्रयोगशाला जिसमें वह स्थान भी सम्मिलित है जहाँ पर कि आनुवंशिक क्लिनिक से प्राप्त नमूने की प्रसूति पूर्व निदान के लिये विश्लेषण या परीक्षण किया जाता है;

स्पष्टीकरण.— इस खंड में, ''आनुवंशिक प्रयोगशाला'' में, कोई जगह, जहाँ अल्ट्रासाउण्ड मशीन या इमेजिंग मशीन या स्कैनर या अन्य उपकरण जो कि गर्भस्थ शिशु का लिंग पता करने में समर्थ है या कोई पोर्टेबल उपकरण, जो गर्भधारण के समय लिंग पता लगाने या प्रसूति पूर्व लिंग चयन में समर्थ है, उपयोग हुआ हो।]

''स्त्री रोग विशेषज्ञ'' से अर्थ वह व्यक्ति जो कि स्त्री रोग व प्रसूति विज्ञान में स्नातकोत्तर की योग्यता प्राप्त कर रखी हो;

(ड) ''चिकित्सा आनुवंशिक विद'' से अभिप्रेत है, वह व्यक्ति जो आनुवंशिक विज्ञान की लिंग चयन के क्षेत्र में तथा प्रसूति पूर्व परीक्षण तकनीक में डिग्री या डिप्लोमा धारण करता हो या निम्न योग्यता प्राप्त होने के बाद उक्त में से किसी एक क्षेत्र में कम से कम दो वर्ष का अनुभव धारक हो :—

(i) भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) के अंतर्गत मान्यता प्राप्त कोई एक चिकित्सीय योग्यता;

(ii) जैविकीय विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि धारक हो;]

''बाल चिकित्सा विशेषज्ञ'' से अर्थ एक व्यक्ति जो कि बालरोग विज्ञान के क्षेत्र में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त कर चुका हो;

(त) ''प्रसूति पूर्व निदान विधियाँ'' से अभिप्रेत है, सभी स्त्री-संबंधी या प्रसूति या चिकित्सीय विधियाँ जैसे अल्ट्रासोनोग्राफी, फोइटोस्कोपी, एम्नियोटिक फ्लूड, कोरियोनिक विली, एम्ब्रियो, खून के नमूने लेना या हटाना या कोई अन्य ऊतक या गर्भधारण के पहले या बाद में किसी पुरुष अथवा महिला का फ्लूड, किसी आनुवंशिक प्रयोगशाला या आनुवंशिक क्लिनिक में गर्भधारण के पूर्व अथवा बाद में लिंग चयन के लिये किसी प्रकार के विश्लेषण या प्रसूति पूर्व जांच के लिये भेजना;]

''प्रसूति पूर्व निदान तकनीकी'' में सभी प्रसूति पूर्व परीक्षण प्रक्रिया सम्मिलित है;

(द) ''प्रसूति पूर्व निदान परीक्षण'' से अभिप्रेत है, अल्ट्रासोनोग्राफी या अन्य जाँच या एम्नियोटिक फ्लूड, कोरियोनिक विली, खून या किसी गर्भवती स्त्री के किसी ऊतक या फ्लूड का विश्लेषण या आनुवंशिक या उपापचयी विकारों या गुणसूत्रों विकारों या जन्मजात विषमताओं या यौन-संबंधी बीमारियों का पता लगाने के लिये किया गया कान्सेप्टस;]

''विहित'' से अर्थ इस अधिनियम में विहित किये गये अर्थ से है;

''पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी'' से अर्थ चिकित्सकीय व्यवसायी जो कि भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 2 के खंड (4) में परिभाषित मान्यताप्राप्त चिकित्सकीय योग्यता रखता हो तथा राज्य चिकित्सा परिषद् में पंजीबद्ध हो;

(ढ) ''विनियम'' से अर्थ इस अधिनियम के अंतर्गत मंडल द्वारा बनाये गये विनियम से है।

[1][(ण) ''लिंग-चयन'' में सम्मिलित है कोई विधि, तकनीक, जांच या प्रशासन या प्रेस्क्रिप्शन या कोई भी बात जो गर्भस्थ भ्रूण के किसी विशेष लिंग के होने की संभाव्यता व्यक्त करे।

(प) ''सोनोलॉजिस्ट या इमेजिंग विशेषज्ञ'' से अभिप्रेत है वह व्यक्ति, जो भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) द्वारा मान्यताप्राप्त कोई एक चिकित्सा योग्यता रखता हो या जो अल्ट्रासोनोग्राफी या इमेजिंग तकनीक या रेडियोलॉजी में स्नातकोत्तर उपाधिधारक हो;

(फ) ''राज्य बोर्ड'' से अभिप्रेत है, धारा 16-क के अंतर्गत गठित राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड या कोई केन्द्रशासित प्रदेश पर्यवेक्षण बोर्ड;

(ब) केन्द्र शासित प्रदेश, जिसमें कानून बनाने की सभा हो, के संदर्भ में ''राज्य सरकार'' से अभिप्रेत है उस केन्द्र शासित प्रदेश का प्रशासक जिसे राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 239 द्वारा नियुक्त किया गया है।]

अध्याय - 2

आनुवंशिक परामर्श केन्द्र, आनुवंशिक प्रयोगशाला व आनुवंशिक क्लिनिक का विनियमन

3. आनुवंशिक परामर्श केन्द्र, आनुवंशिक प्रयोगशाला व आनुवंशिक क्लिनिक का विनियमन– इस अधिनियम के लागू किये जाने के पश्चात् —

(1) कोई भी आनुवंशिक परामर्श केन्द्र, आनुवंशिक प्रयोगशाला, आनुवंशिक क्लिनिक तब तक प्रसूति पूर्व निदान तकनीकी का संचालन, या उसके साथ लड़का या मदद करने की कार्य नहीं कर सकेगा जब तक कि वह इस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत नहीं है।

[2][(2) कोई भी आनुवंशिक परामर्श केन्द्र या आनुवंशिक प्रयोगशाला आनुवंशिक क्लिनिक किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जिसके पास निर्धारित योग्यताएँ नहीं हैं, न तो नियोजित करेगा न ही उसकी सेवाएँ अवैतनिक या वैतनिक आधार पर लेगा।]

(3) कोई भी पंजीकृत आनुवंशिक विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ या स्त्री रोग विशेषज्ञ या अन्य कोई व्यक्ति प्रसूति पूर्व निदान तकनीकी का स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति की मदद या संचालन तकनीकी परीक्षण हेतु पंजीबद्ध स्थान के अलावा नहीं करेगा।

[1][3-क. **लिंग-चयन का प्रतिषेध.**— कोई व्यक्ति, जिसमें कोई इनफर्टिलिटी क्षेत्र का विशेषज्ञ या विशेषज्ञों की टीम सम्मिलित है, किसी महिला या पुरुष या दोनों या उन दोनों या उनमें से किसी एक के कोई भी ऊतक, गर्भस्थ-भ्रूण, कान्सेप्टस, फ्लूड या गैमेट का न तो प्रबंध करेगा न उसमें सहायता करेगा या किसी अन्य व्यक्ति से करवाएगा।

3-ख. ऐसे व्यक्ति, प्रयोगशालाएँ तथा क्लिनिक, जो अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत नहीं हैं, को अल्ट्रासाउंड मशीन आदि विक्रय करने का प्रतिषेध—कोई व्यक्ति कोई अल्ट्रासाउंड मशीन.

---

[1] ...म क्र. 14 सन् 2003 द्वारा अंतःस्थापित।
[2] ...म क्र. 14 सन 2003 द्वारा प्रतिस्थापित।

1. अधिनियम क्र. 14 सन् 2003 द्वारा अंतःस्थापित।
2. अधिनियम क्र. 14 सन् 2003 द्वारा प्रतिस्थापित।

इमेजिंग मशीन या स्कैनर या कोई अन्य उपकरण, जो गर्भस्थ शिशु का लिंग पता लगाने में समर्थ हो, को किसी ऐसे आनुवंशिक परामर्श केन्द्र, आनुवंशिक प्रयोगशाला, आनुवंशिक क्लिनिक या कोई अन्य व्यक्ति को विक्रय नहीं करेगा जो अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत नहीं हैं।]

अध्याय - 3

प्रसूति पूर्व निदान तकनीकी का विनियमन

4. इस अधिनियम के प्रारंभ होने पर व पश्चात्– (1) किसी भी स्थान जिसमें पंजीकृत आनुवंशिक परामर्श केन्द्र या आनुवंशिक प्रयोगशाला या आनुवंशिक क्लिनिक का प्रयोग किसी भी व्यक्ति द्वारा या प्रयोग का कारण प्रसूति पूर्व निदान तकनीक के संचालन के लिये, सिवाय खंड 5 (2) में विशिष्टितया खंड (3) में वर्णित शर्तों की संतुष्टि के प्रयोग में नहीं लायी जावेगी।

(2) प्रसूति पूर्व तकनीकी निम्नलिखित वर्णित उद्देश्यों के सिवाय प्रयोग में नहीं लायी जावेगी, मुख्यतः,—

(i) गुणसूत्री अनियमितताओं में;

(ii) आनुवंशिक उपापचयी विकारों;

(iii) हीमोग्लोबीनोपैथी;

(iv) लिंग-संबंधी विकारों में;

(v) जन्मजात विषमता में;

(vi) अन्य कोई अनियमितता या बीमारी जैसा कि केन्द्रीय पर्यवेक्षणीय मंडल द्वारा निर्दिष्ट की जावे।

[1][(3) कोई भी व्यक्ति जो प्रसूति पूर्व परीक्षण विधि करने के योग्य हो, तब तक इसे नहीं करेगा जब तक कि उसका उन कारणों से, जो अभिलिखित किए जाएँ, समाधान न हो जाए कि निम्न में से किसी एक शर्त की पूर्ति हो रही है अर्थात् :—

(i) गर्भवती महिला की आयु 35 वर्ष से अधिक है;

(ii) गर्भवती महिला के दो या अधिक तात्क्षणिक गर्भपात या गर्भस्थ भ्रूण हानि हो चुकी हो;

(iii) गर्भवती महिला ड्रग्स, विकिरण, इंफैक्शन या कैमिकल्स जैसे किसी पोटेंशियली टेराटोजैनिक एजेंट्स के संपर्क में आई हो;

(iv) गर्भवती महिला या उसके पति के परिवार में मानसिक मंदन या शारीरिक कुरचना जैसे स्पैस्टिसिटी या कोई अन्य आनुवंशिक बीमारी, का इतिहास हो;

(v) कोई अन्य शर्त जो बोर्ड द्वारा विहित की जाए :

परन्तु यह कि कोई भी व्यक्ति जो किसी गर्भवती महिला की अल्ट्रासोनोग्राफी करता है, वह विहित किये गये अनुसार अपने क्लिनिक में पूरा अभिलेख रखेगा तथा कोई कमी या अपूर्णता पाई जाने पर धारा 5 या धारा 6 का उल्लंघन माना जायेगा जब तक वह व्यक्ति, जिसने अल्ट्रासोनोग्राफी की है, उसे अन्यथा साबित न कर दे।

(4) कोई भी व्यक्ति, जिसमें गर्भवती महिला का रिश्तेदार या पति भी सम्मिलित है, खण्ड (2) में दिए गए प्रावधानों को छोड़कर उस महिला की कोई भी प्रसूति पूर्व परीक्षण तकनीक नहीं करवाएंगे;

(5) कोई भी व्यक्ति, जिसमें किसी महिला का रिश्तेदार या पति भी सम्मिलित है, उस महिला या पुरुष या दोनों पर किसी भी लिंग चयन तकनीक से परीक्षण नहीं कराएगा।]

1. अधिनियम क्र. 14 सन् 2003 द्वारा प्रतिस्थापित।

5. गर्भवती महिला की लिखित सहमति तथा भ्रूण के लिंग के बारे में उसे संसूचना पर प्रतिबंध– (1) कोई भी व्यक्ति धारा 3 के खंड दो में विनिर्दिष्ट उद्देश्यों के लिये प्रसूति पूर्व निदान तकनीक प्रक्रिया का संचालन नहीं करेगा, जब तक,—

(क) वह संबंधित गर्भवती महिला के वह सभी ज्ञात पक्षों व प्रक्रिया के बारे के सभी पक्षों को स्पष्ट नहीं कर देता है;

(ख) वह इस प्रक्रिया में जाने वाली उस महिला की लिखित रूप से सहमति उस भाषा में जिसे वह जानती है, निर्धारित प्रारूप पर प्राप्त नहीं कर लेता है;

(ग) खंड 5 (2) के अंतर्गत लिखित रूप से प्राप्त सहमति की प्रति उस महिला को नहीं प्रदान कर देता है।

[1][(2) कोई भी व्यक्ति, जिसमें प्रसूति पूर्व परीक्षण विधि करने वाला भी सम्मिलित है, संबंधित गर्भवती महिला या उसके रिश्तेदार या किसी अन्य व्यक्ति को गर्भस्थ भ्रूण के लिंग के बारे में न तो शब्दों द्वारा, न संकेतों द्वारा या किसी अन्य प्रकार से, बताएगा।]

6. लिंग के निर्धारण को प्रतिबंधित किया जाना– इस अधिनियम के आरंभ पर—

(क) कोई भी आनुवंशिक परामर्श केन्द्र या आनुवंशिक प्रयोगशाला या आनुवंशिक क्लिनिक का संचालन या संचालन का कारण उसके केन्द्र, प्रयोगशाला या क्लिनिक में प्रसूति पूर्व परीक्षण का प्रयोग लिंग के निर्धारण के लिये, जिसमें अल्ट्रा सोनोग्राफी शामिल है, नहीं करेगा;

(ख) कोई भी व्यक्ति प्रसूति पूर्व निदान तकनीकी जिसमें अल्ट्रा सोनोग्राफी सम्मिलित है, का संचालन भ्रूण के लिंग निर्धारण हेतु नहीं करेगा या करने का कारक बनेगा।

[2][(ग) कोई भी व्यक्ति, किसी भी प्रकार या कारण से गर्भधारण पूर्व या पश्चात् लिंग का चयन नहीं कर सकेगा।]

अध्याय - 4

केन्द्रीय पर्यवेक्षकीय बोर्ड

7. केन्द्रीय पर्यवेक्षक बोर्ड का गठन– (1) केन्द्र सरकार एक बोर्ड का गठन करेगी जिसे केन्द्रीय पर्यवेक्षक बोर्ड कहा जावेगा जो कि इस अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों और कर्त्तव्यों का पालन करेगा।

(2) बोर्ड निम्न को समाविष्ट कर बनाया जावेगा:—

(क) परिवार कल्याण विभाग या मंत्रालय का प्रभारी मंत्री जो कि पदेन सभापति होगा।

(ख) केन्द्र सरकार का परिवार कल्याण विभाग का प्रभारी सचिव जो कि पदेन उपसभापति होगा।

[1][(ग) केन्द्र सरकार, केन्द्रीय सरकार के महिला एवं बाल विकास का प्रभारी, कानून एवं न्याय मंत्रालय के विधि कार्य विभाग या विधायी विभाग, और भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी, मंत्रालयों से तीन सदस्य पदेन सदस्य के रूप में नियुक्त करेगी।]

(घ) केन्द्र सरकार के स्वास्थ्य सेवाओं का महानिदेशक जो कि पदेन सदस्य होगा।

(ङ) दस सदस्यों की नियुक्ति ऐसे व्यक्तियों के बीच से केन्द्र सरकार करेगी जिसमें दो सदस्य—

1. अधिनियम क्र. 14 सन 2003 द्वारा प्रतिस्थापित।

(i) विख्यात चिकित्सीय आनुवंशिक विशेषज्ञ;

(ii) [1][प्रख्यात गायनेकोलॉजिस्ट तथा ऑब्सटेट्रिशियन या स्त्री-रोग या प्रसूति तंत्र का विशेषज्ञ।]

(iii) विख्यात शिशु रोग विशेषज्ञ;

(iv) विख्यात समाज विज्ञानी;

(v) महिला कल्याण संगठनों के प्रतिनिधि।

(च) संसद की तीन महिला सदस्य जिसमें एक सदस्य राज्यसभा से व दो लोक सभा से मनोनीत की जावेंगी।

(छ) चार सदस्य केन्द्र सदस्य द्वारा चक्रानुसार क्रम को राज्यों व केन्द्र सरकार के प्रतिनिधि दो वर्णमाला क्रमानुसार के विपरीत क्रमानुसार परन्तु कोई भी नियुक्ति इस उपधारा के अन्तर्गत सिवाय राज्य शासन की अनुशंसा या जैसा भी मामला हो केन्द्र सरकार की अनुशंसा के बिना नहीं की जावेगी;

(ज) एक अधिकारी जो कि संयुक्त सचिव या केन्द्र सरकार के परिवार कल्याण के प्रभारी से निम्न पद का नहीं होगा उसे सदस्य सचिव पदेन के रूप में नियुक्त किया जावेगा।

8. सदस्यों के कार्यकाल की अवधि— (1) पदेन सदस्य को छोड़कर, किसी सदस्य का कार्यकाल—

(क) धारा 7 की उपधारा (2) के खंड (ङ) या खण्ड (च) के अधीन नियुक्ति होने पर तीन वर्ष [2][* * * *] :

[2][परन्तु धारा 7 की उपधारा (2) के खण्ड (च) के अंतर्गत निर्वाचित सदस्य का कार्यकाल, मंत्री या राज्य मंत्री या उपमंत्री, या किसी भी लोकतांत्रिक सदन का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, या राज्य की किसी परिषद् का डिप्टी चेयरमेन या जिस सदन हेतु उसे चुना गया है, उसकी सदस्यता समाप्त हो जायेगी।]

(ख) उपरोक्त धारा के खंड (7) के अंतर्गत नियुक्ति के मामले में एक वर्ष।

(2) यदि कार्यालय में किसी सदस्य के बीमारी, त्यागपत्र या अपने कर्त्तव्य के पालन में असमर्थता के या अन्य कारण से कोई पद आकस्मिक रूप से रिक्त होता है तो केन्द्र सरकार द्वारा उस पद पर नयी नियुक्ति की जावेगी तथा ऐसा नियुक्त किया गया व्यक्ति अपना पद भाग पदावधि के शेषभाग के लिये जिस व्यक्ति के स्थान पर वह नियुक्त किया गया है कार्य करेगा।

(3) उपसभापति ऐसे सभी कार्य करेगा जैसा कि समय-समय उसे सभापति द्वारा निरूपित किया जावे।

(4) सदस्यों द्वारा अपने कर्त्तव्यों के अनुपालन में वह प्रक्रिया अपनायी जावेगी जैसा कि विहित किया जावे।

9. बोर्ड की सभाएँ— (1) बोर्ड की सभाएँ ऐसे स्थान व समय पर होंगी तथा प्रक्रिया के ऐसे नियमों का अवलोकन जो कि व्यवसाय के बारे में संबंधित है (जिससे गणपूर्ति की सभाओं का भी समाविष्ट है) जैसा कि विनियमन द्वारा निर्धारित किया जावे :

परन्तु बोर्ड की सभा छः माह में कम से कम एक बार होगी।

1. अधिनियम क्र. 14 सन् 2003 द्वारा प्रतिस्थापित।

(2) सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति बोर्ड का सभापति होगा।

(3) सभापति व उपसभापति की सभा में उपस्थिति ना होने में असमर्थता पर सदस्यों द्वारा चयनित किया गया कोई भी सदस्य वर्तमान सभा का पीठासीन होगा।

(4) सभा के सभी प्रश्नों का निराकरण बोर्ड द्वारा वर्तमान सदस्यों के बहुमत से मतदान द्वारा निर्धारित किया जावेगा तथा समान मत होने की स्थिति में सभापति का उसकी अनुपस्थिति में पीठासीन व्यक्ति को दुबारा या निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।

(5) पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों को ऐसे भत्ते यदि कोई हैं वह बोर्ड से जैसा कि विहित किया जावेंगे, प्राप्त कर सकेंगे।

10. पद रिक्त होना इत्यादि बोर्ड की कार्यवाही को अवैध नहीं करेगी— कोई भी कार्यवाही मात्र इस आधार पर अवैध नहीं होगी—

(क) कोई भी पद रिक्त या बोर्ड के गठन में जगह होने पर; या

(ख) बोर्ड में कार्यरत किसी भी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई जगह होने पर; या

(ग) बोर्ड की प्रक्रिया में किसी ऐसी अनियमितता से जिससे कि प्रकरण के गुण-दोषों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो।

11. विशिष्ट उद्देश्यों के लिये बोर्ड के साथ अस्थाई रूप से व्यक्तियों का सम्मिलित होना— (1) बोर्ड स्वयं ऐसी रीति और ऐसे प्रयोजनों के लिये जैसा कि विनियमन द्वारा निर्धारित किया जावे किसी भी व्यक्ति की सहयोग या सलाह जो कि अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन के लिये आवश्यक हो, ले सकता है।

(2) कोई भी व्यक्ति जो कि बोर्ड के साथ उपधारा (1) के अंतर्गत किसी उद्देश्य के लिये सम्मिलित किया जाता है उसे चर्चा में बोलने का उस उद्देश्य के सुसंगतता हेतु पूर्ण अधिकार होगा किन्तु उसे सभा में मताधिकार का प्रयोग नहीं होगा तथा वह अन्य उद्देश्यों के लिये बोर्ड का सदस्य नहीं माना जावेगा।

12. बोर्ड के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति— (1) बोर्ड के कार्यों को पर्याप्त रूप से इस अधिनियम के अंतर्गत कार्यों को चलाने के लिये बोर्ड विनियमन के उपबंधों के अनुसार जैसा कि इस बारे में निर्धारित किया जावे (चाहे प्रतिनियुक्ति या अन्यथा) ऐसे अधिकारियों व कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकता है, जैसा कि उचित समझे :

परन्तु ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति, जैसा कि विनियम में निर्दिष्ट किया जावे, के उपबंध अनुसार केन्द्र सरकार के द्वारा अनुमोदित किया जावेगा।

(ii) बोर्ड द्वारा नियुक्त प्रत्येक अधिकारी व अन्य नियुक्त कर्मचारी सेवा की शर्तों के उपबंधों के अनुसार ऐसे पारिश्रमिक प्राप्त करने के लिये अधिकारी होंगे जैसा कि विनियम में निर्दिष्ट किया जावे।

13. बोर्ड के आदेशों व अन्य लिखतों का प्रमाणीकरण— बोर्ड से सभी आदेशों व निर्णयों का प्रमाणीकरण सभापति या अन्य किसी व्यक्ति, जिसे बोर्ड द्वारा इस बारे में निर्देशित किया गया हो, के हस्ताक्षर से किया जावेगा तथा कर्मचारी तथा अन्य सभी लिखत, जो कि बोर्ड के द्वारा जारी किये जाते हैं, का प्रमाणीकरण सदस्य सचिव या इस बारे में अधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा समान रीति से किये जावेंगे।

14. सदस्यों की नियुक्ति हेतु अयोग्यता— एक व्यक्ति सदस्य के रूप में नियुक्त किये जाने के लिये अयोग्य माना जावेगा यदि वह—

(क) यदि वह किसी ऐसे अपराध के लिये दोषसिद्ध व कारावास से दंडित किया जा चुका है जो कि केन्द्र सरकार की राय में नैतिक पतन के रूप में आता है; या

(ख) यदि वह दिवालियापन से उन्मोचित नहीं है;

(ग) यदि वह सरकार, बोर्ड के किसी स्वयं के या नियंत्रण के निगम से की सेवा से या हटाया या अयोग्य घोषित किया गया है।

(घ) यदि वह व्यक्ति सक्षम न्यायालय द्वारा दिवालिया, पागल घोषित किया गया है;

(ङ) केन्द्र सरकार की राय में वह बोर्ड के वित्त व अन्य मामलों में रुचि रखता हो जिससे कि उसके द्वारा बोर्ड के सदस्य के रूप कार्य करने में उसके पूर्वाग्रह से ग्रसित होने की संभावना हो।

[1][(च) केन्द्र सरकार की राय में वह प्रसूति पूर्व परीक्षण तकनीक में प्रयोग या उन्नति में लिंग निर्धारण या किसी लिंग चयन तकनीक में लिप्त रहा है।]

15. सदस्यों की पुनःनियुक्ति के लिये योग्यता— सेवा की शर्तों व उपबन्धों के अनुसार जैसा कि विहित किया जावे कोई व्यक्ति एक सदस्य ऐसे पुनः सदस्य के रूप में नियुक्त करने हेतु प्रतिबंधित किया जावेगा :

[2][परन्तु यह कि कोई भी सदस्य, जिसमें पदेन सदस्य सम्मिलित नहीं है, दो से अधिक बार लगातार अवधि के लिये नियुक्त नहीं किया जाएगा।]

16. [1][**बोर्ड का कृत्य.**— बोर्ड के निम्नलिखित कृत्य होंगे, अर्थात्—

(i) केन्द्र सरकार को प्रसूति पूर्व परीक्षण विधियों, लिंग चयन विधियों तथा उनके दुरुपयोग जैसे नीतिगत मामलों पर सलाह देना;

(ii) अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के क्रियान्वयन का पुनरीक्षण तथा निरीक्षण करना और केन्द्र सरकार को इस अधिनियम तथा नियमों के लिये परिवर्तन सुझाना;

(iii) लोगों में गर्भधारण पूर्व लिंग चयन संबंधी प्रचलन और प्रसूति पूर्व गर्भस्थ शिशु के लिंग निर्धारण जो कि मादा भ्रूण की हत्या तक हो सकता है, के प्रति जागरूकता पैदा करना;

(iv) आनुवंशिक परामर्श केन्द्रों, आनुवंशिक प्रयोगशालाओं तथा आनुवंशिक क्लिनिकों में कार्य करने वाले व्यक्तियों के लिये आचरण संहिता निर्मित करना;

(v) अधिनियम के अधीन गठित विभिन्न निकायों के कार्यों का निरीक्षण करना और इसके सही तथा प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिये उपयुक्त कदम उठाना;

(vi) कोई अन्य कृत्य, जो इस अधिनियम के अधीन विहित किए जाएँ।]

[2][**16-क. राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड तथा केन्द्र शासित प्रदेश पर्यवेक्षण बोर्ड का गठन**— प्रत्येक राज्य तथा केन्द्र शासित प्रदेश जिसका अपना विधान मंडल हो, एक बोर्ड का गठन कर सकेगा, जिसे राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड या केन्द्रशासित प्रदेश पर्यवेक्षण बोर्ड जो भी हो, कहा जायेगा तथा उसके निम्नलिखित कृत्य होंगे, अर्थात्:—

(i) राज्य में लोगों में गर्भधारण पूर्व लिंग चयन संबंधी प्रचलन और प्रसूति पूर्व गर्भस्थ शिशु के लिंग निर्धारण, जो कि मादा भ्रूण की हत्या तक हो सकता है, के प्रति जागरूकता पैदा करना;

(ii) राज्य में कार्यरत समुचित प्राधिकारियों के कार्यों का पुनरीक्षण करना तथा उनके विरुद्ध उपयुक्त कार्यवाई सुझाना;

(iii) अधिनियम तथा नियमों के प्रावधानों के क्रियान्वयन का निरीक्षण करना तथा बोर्ड को इससे संबंधित उपयुक्त सुझाव देना;

(iv) राज्य में इस अधिनियम के अधीन लागू की गई विभिन्न गतिविधियों की विस्तृत रिपोर्ट बोर्ड तथा केन्द्र सरकार को प्रेषित करना; और

(v) कोई अन्य कार्य, जो इस अधिनियम के अधीन विहित किए जाएँ;

(2) राज्य बोर्ड निम्नलिखित से मिलकर बनेगा—

(क) राज्य के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण का प्रभारी मंत्री, जो कि पदेन अध्यक्ष होगा;

(ख) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का प्रभारी सचिव, जो कि पदेन उपाध्यक्ष होगा;

(ग) महिला एवं बाल विकास, समाज कल्याण, विधि तथा भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी विभागों के प्रभारी सचिव या आयुक्त अथवा उनके प्रतिनिधि पदेन सदस्य होंगे;

(घ) राज्य सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण या भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी का निदेशक पदेन सदस्य होगा;

(ङ) विधान सभा या विधान परिषद की तीन महिला सदस्य;

(च) राज्य सरकार द्वारा दस सदस्य नियुक्त किये जायेंगे जिनमें से निम्न प्रवर्गों में से प्रत्येक प्रवर्ग से दो सदस्य होंगे :—

(i) विख्यात समाज विज्ञानी और विधि विशेषज्ञ;

(ii) अशासकीय संगठनों या अन्य से विख्यात महिला कार्यकर्ता;

(iii) विख्यात गायनेकोलॉजिस्ट तथा आब्स्टेट्रिशियन या स्त्री रोग अथवा प्रसूति तंत्र के विशेषज्ञ;

(iv) विख्यात शिशु रोग विशेषज्ञ या चिकित्सा आनुवंशिकविद;

(v) विख्यात रेडियोलोजिस्ट या सोनोलॉजिस्ट;

(छ) एक अधिकारी, जो कि परिवार कल्याण कल्याण के प्रभारी संयुक्त निदेशक से निम्न पद का नहीं होगा, पदेन सदस्य सचिव।

(3) राज्य बोर्ड की सभा चार माह में कम से कम एक बार अवश्य होगी।

(4) किसी भी सदस्य की पदावधि, पदेन सदस्य को छोड़कर, तीन वर्ष होगी।

(5) यदि किसी सदस्य, पदेन सदस्य को छोड़कर, के स्थान की रिक्ति होती है तो वह नई नियुक्ति द्वारा भरी जा सकेगी।

(6) यदि कोई विधान सभा सदस्य या विधान परिषद सदस्य जो कि राज्य बोर्ड का सदस्य है, मंत्री, विधान सभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, या विधान परिषद का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष बन जाती है, तो वह राज्य बोर्ड की सदस्य नहीं रह जाएगी।

(7) कोरम की गणपूर्ति राज्य बोर्ड के कुल सदस्यों के एक-तिहाई सदस्यों से हो सकेगी।

(8) राज्य बोर्ड, जब तथा जैसी आवश्यकता हो, किसी व्यक्ति को सदस्य चुन सकेंगे, परन्तु इस प्रकार चुने गये सदस्यों की संख्या बोर्ड में पदस्थ कुल सदस्यों के एक-तिहाई से अधिक नहीं हो सकेगी।

(9) इस प्रकार चुने गये सदस्यों को मतदान के अलावा वही शक्तियाँ और कृत्य होंगे जैसे कि दूसरे सदस्यों के है और वे नियमों तथा विनियमों का पालन करेंगे।

1. अधिनियम क्र. 14 सन् 2003 द्वारा प्रतिस्थापित।

(10) उन मामलों में, जो इस धारा में वर्णित नहीं किए गए हैं, राज्य सरकार उन्हीं प्रक्रियाओं तथा शर्तों का अनुसरण करेगा जो बोर्ड को लागू है।]

अध्याय - 5

समुचित प्राधिकारी और सलाहकार समिति

17. समुचित प्राधिकारी और सलाहकार समिति– (1) केन्द्र सरकार इस अधिनियम के प्रयोजन के लिये राजपत्र में अधिसूचना जारी करके एक से अधिक समुचित प्राधिकारी की नियुक्ति प्रत्येक केन्द्र शासित प्रदेश में कर सकती है।

(2) राज्य सरकार राजकीय राजपत्र में अधिसूचना जारी करके एक या एक से अधिक समुचित प्राधिकारियों की सम्पूर्ण या राज्य के उस भाग में जहाँ पर कि प्रसूति पूर्व लिंग निर्धारण जो कि मादा भ्रूण की हत्या तक होती है इस अधिनियम के प्रावधानों के लिये लागू कर सकती है।

(3) उपधारा (1) या (2) के अंतर्गत समुचित अधिकारी के रूप में एक अधिकारी नियुक्त किया जावेगा;

[1][(क) जब नियुक्ति संपूर्ण राज्य या केन्द्रशासित प्रदेश के लिये की जाती है, तब निम्न तीन सदस्य सम्मिलित होंगे :—

(i) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के संयुक्त निदेशक या उसके उच्च स्तर का एक अधिकारी — अध्यक्ष

(ii) एक प्रख्यात महिला जो महिलाओं के संगठन का प्रतिनिधित्व करे; और

(iii) संबंधित राज्य या केन्द्रशासित प्रदेश के विधि विभाग का एक अधिकारीः

परन्तु यह कि, यह संबंधित राज्य या केन्द्रशासित प्रदेश का कर्तव्य होगा कि वह बहुसदस्यीय राज्यस्तरीय या केन्द्र शासित प्रदेशस्तरीय उपयुक्त प्राधिकरण का गठन प्रसूति पूर्व परीक्षण तकनीक (विनियमन व दुरुपयोग का निवारण) संशोधन अधिनियम, 2002 के प्रवृत्त होने के तीन माह के भीतर कर दे :

परन्तु यह और भी कि कोई रिक्ति होने की दशा में, उसके तीन माह के भीतर उस पर नियुक्ति कर दी जाए।]

(ख) जब नियुक्ति राज्य के किसी भाग या केन्द्र शासित प्रदेश के लिये की जाती है तब ऐसे पद का जैसा राज्य सरकार या केन्द्र सरकार जैसा भी मामला हो, उचित समझे।

(4) समुचित प्राधिकारी के निम्नलिखित कार्य होंगे, मुख्यतः

(क) आनुवंशिक परामर्श केन्द्र, आनुवंशिक प्रयोगशाला व आनुवंशिक क्लिनिक की अनुज्ञप्ति मंजूरी, निलम्बन व निरस्तीकरण;

(ख) आनुवंशिक परामर्श केन्द्र, आनुवंशिक प्रयोगशाला व आनुवंशिक क्लिनिक के विहित स्तर को लागू करना;

(ग) इस अधिनियम के या इसके अंतर्गत बने प्रावधानों के भंग होने की शिकायत प्राप्त होने पर अनुसंधान करना व उचित कार्यवाही करना;

(घ) उपधारा (5) के अंतर्गत गठित सलाहकार समिति की राय प्राप्त कर विचार करना पंजीयन के आवेदन प्राप्त करना और शिकायत प्राप्त होने पर पंजीयन का निलम्बन या निरस्तीकरण करना;

[1][(ङ) लिंग चयन विधि का उपयोग किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी स्थान पर करने पर या ध्यान में लाये जाने पर उसके विरुद्ध उपयुक्त विधिक कार्यवाही करवाना तथा ऐसे मामले की स्वतंत्र जाँच भी करवाना;

(च) लोगों में लिंग चयन तथा प्रसूति पूर्व लिंग निर्धारण के विरुद्ध जागरूकता पैदा करना;

(छ) अधिनियम तथा नियमों के प्रावधानों के क्रियान्वयन का पर्यवेक्षण करना;

(ज) तकनीकी या सामाजिक स्थितियों में परिवर्तनों के अनुसार बोर्ड तथा राज्य बोर्डों को नियमों में आवश्यक उपान्तरणों हेतु सुझाव देना;

(झ) सलाहकार समिति की शिकायत की जांच के पश्चात् पंजीकरण को निलंबित या निरस्त करने की अनुशंसाओं पर कार्यवाही करना।]

(5) केन्द्र सरकार या राज्य सरकार जैसा भी मामला हो, प्रत्येक समुचित प्राधिकारी की सहायता व सलाह के लिये व उसके कार्यों के निष्पादन के लिये एक सलाहकार समिति का गठन करेगी जिसके सदस्यों में से एक को सभापति नियुक्त करेगी।

(6) सलाहकार समिति मुख्यतः निम्न को समावेशित कर बनायी जावेगी :—

(क) तीन ऐसे चिकित्सकीय विशेषज्ञ जिन्हें आनुवंशिक विशेषज्ञ, प्रसूति विशेषज्ञ, शिशु रोग विशेषज्ञ के बीच में से चुना जावेगा।

(ख) एक विधि विशेषज्ञ।

(ग) एक अधिकारी राज्य के सूचना या प्रसारण विभाग से या केन्द्र शासित प्रदेश का जैसा भी मामला हो।

(घ) तीन प्रसिद्ध समाज सेवी जिसमें महिला संगठन की कम से कम एक प्रतिनिधि हो।

[2][(7) कोई व्यक्ति, जो लिंग निर्धारण या लिंग चयन के लिये प्रसूति पूर्व परीक्षण तकनीकों के उपयोग या उन्नति में आलिप्त रहा हो, सलाहकार समिति में बतौर सदस्य नियुक्त नहीं किया जा सकेगा।]

(8) सलाहकार समिति की सभाएँ जैसा और जब उचित समझी जावे या समुचित प्राधिकारी के निवेदन पर पंजीकरण के आवेदन प्राप्त होने पर या कोई शिकायत किसी पंजीयन के रद्द होने के लिये या निलम्बन के लिये और इस पर राय देने के लिये ले सकती है :

परन्तु दो सभाओं के तहत विहित समय से अधिक का मध्यांतर नहीं होगा।

(9) उन शर्तों व उपबंधों में जिसमें एक व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है। सलाहकार समिति और वह प्रक्रिया जिसका अनुसरण ऐसी समिति द्वारा अपने कर्तव्यों के अनुपालन में किया जावेगा जैसा भी मामला हो।

[1][**17-क. समुचित प्राधिकारियों की शक्तियाँ.**— समुचित प्राधिकारी को निम्नलिखित मामलों के संबंध में शक्तियाँ होंगी, अर्थात् :—

(क) कोई भी व्यक्ति, जो अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधानों के उल्लंघन की सूचना रखता है, को समन कर सकेगा;

(ख) खण्ड (क) से संबंधित किसी भी दस्तावेज या वस्तु को प्रस्तुत कर सकेगा;

(ग) कोई भी स्थान, जो लिंग चयन पद्धतियों या प्रसूति पूर्व लिंग निर्धारण के रूप में प्रयुक्त होने की आशंका हो, के लिये तलाशी का वारंट जारी कर सकेगा।

1. अधिनियम क्र. 14, सन् 2003 द्वारा प्रतिस्थापित।

1. अधिनियम क्र. 14 सन् 2003 द्वारा अंतःस्थापित।
2. अधिनियम क्र. 14 सन् 2003 द्वारा प्रतिस्थापित।

(घ) कोई अन्य मामला जो विहित किया जाए।]

अध्याय - 6

आनुवंशिक परामर्श केन्द्र, आनुवंशिक प्रयोगशाला व आनुवंशिक क्लिनिक का पंजीयन

18. आनुवंशिक परामर्श केन्द्र, आनुवंशिक प्रयोगशाला व आनुवंशिक क्लिनिक का प्रयोग— [1][(1) कोई भी व्यक्ति, प्रसूति पूर्व निदान तकनीक (विनियमन व दुरुपयोग का निवारण) संशोधन अधिनियम, 2002 के प्रभावशील होने के बाद, कोई भी आनुवंशिक परामर्श केन्द्र, आनुवंशिक प्रयोगशाला या आनुवंशिक क्लिनिक, जिसमें ऐसा क्लिनिक, प्रयोगशाला या केन्द्र सम्मिलित है जिसमे पास अल्ट्रासाउण्ड या इमेजिंग मशीन या स्कैनर या कोई अन्य प्रौद्योगिकी हो जो गर्भस्थ शिशु का लिंग निर्धारण करने और लिंग चयन या इनमें से कोई सेवा प्रदान करने में समर्थ हो, नहीं खोलेगा जब तक कि ऐसा केन्द्र, प्रयोगशाला या क्लिनिक इस अधिनियम के अधीन विहित रूप से पंजीकृत न हो जाए।]

(2) उपधारा (1) के अंतर्गत पंजीयन के प्रमाण-पत्र का आवेदन समुचित प्राधिकारी को ऐसे प्रारूप व ऐसी रीति से ऐसे शुल्क के साथ जैसा कि विहित किया जावे प्रस्तुत की जावेगी।

(3) प्रत्येक आनुवंशिक परामर्श केन्द्र, आनुवंशिक प्रयोगशाला या आनुवंशिक क्लिनिक जो कि अंशतः या अनन्य रूप से प्रसव पूर्व निदान तकनीक का धारा 4 में वर्णित उल्लेखित उद्देश्यों के लिये परामर्श या संचालन करता रहा है इस अधिनियम के तत्काल आरंभ के पूर्व की तिथि से 60 दिन के भीतर पंजीयन हेतु आवेदन प्रस्तुत करेगा।

(4) धारा 6 के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक आनुवंशिक परामर्श केन्द्र, आनुवंशिक प्रयोगशाला या आनुवंशिक क्लिनिक जो कि प्रसव पूर्व निदान परीक्षण के कार्य में परामर्श या संचालन करती है इस अधिनियम के आरंभ की तिथि से 6 माह के भीतर अपने कार्य का संचालन प्रतिबन्धित कर लेगी तथा जब तक कि ऐसे केन्द्र, प्रयोगशाला या क्लिनिक के पंजीयन के लिये आवेदन नहीं दे देता है और ऐसा पंजीकरण पृथक या संयुक्त रूप से या जब तक कि ऐसे आवेदन का निराकरण नहीं हो जाता है, जो भी पहले हो।

(5) किसी भी आनुवंशिक परामर्श केन्द्र, आनुवंशिक प्रयोगशाला या आनुवंशिक क्लिनिक तब तक पंजीकृत नहीं की जावेगी जब तक कि समुचित प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट नहीं हो जाता है कि केन्द्र, प्रयोशाला या क्लिनिक ऐसी स्थिति में जो ऐसी सुविधा व ऐसे उपकरण व स्तर की पूर्ति करता है, जैसा कि विहित किया गया है।

19. पंजीयन का प्रमाण-पत्र— (1) समुचित प्राधिकारी उचित जांच कर स्वयं को संतुष्ट करने के पश्चात् कि आवेदक ने इस अधिनियम के इसके अंतर्गत बनाये गये सभी नियमों की आवश्यकताओं का पालन कर लिया है तब वह सलाहकार समिति से इस बारे में सलाह कर विहित प्रारूप पर पंजीयन का प्रमाण-पत्र संयुक्त या पृथक रूप से आनुवंशिक परामर्श केन्द्र, आनुवंशिक प्रयोगशाला या आनुवंशिक क्लिनिक जैसा भी मामला हो, को मंजूर करेगा।

(2) यदि समुचित जांच के उपरांत और आवेदक को समुचित अवसर सुनवाई हेतु प्रदान करने के पश्चात् सलाहकार समिति के परामर्श के बाद समुचित प्राधिकारी इस तथ्य से संतुष्ट होती है कि आवेदक ने इस अधिनियम या इसके नियमों का पालन पूर्ण रूप से नहीं किया है, तो वह कारणों को लिखित रूप से लिपिबद्ध कर पंजीयन के आवेदन को निरस्त कर देगा।

(3) प्रत्येक पंजीयन का आवेदन का नवीनीकरण ऐसी रीति व ऐसे समय के पश्चात् ऐसे शुल्क के भुगतान पर, जैसा कि विहित किया जावे, किया जावेगा।

1. अधिनियम क्र. 14 सन् 2003 द्वारा प्रतिस्थापित।

(4) पंजीयन के प्रमाणपत्र का प्रदर्शन पंजीकृत आनुवंशिक परामर्श केन्द्र या आनुवंशिक प्रयोगशाला या आनुवंशिक क्लिनिक में व्यापार के स्थान पर सुगमता से दिखाई देने वाले स्थान पर किया जावेगा।

20. पंजीयन के प्रमाणपत्र का निलम्बन या निरस्तीकरण— (1) समुचित प्राधिकारी स्वतः या शिकायत पर आनुवंशिक परामर्श केन्द्र, आनुवंशिक प्रयोगशाला या आनुवंशिक क्लिनिक करने के कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर जिसमें उस कारण का उल्लेख सूचनापत्र में करने कि क्यों न उसका पंजीयन निरस्त या निलम्बित कर दिया जावे।

(2) यदि सुनवाई का उचित अवसर आनुवंशिक परामर्श केन्द्र, आनुवंशिक प्रयोगशाला या आनुवंशिक क्लिनिक को देने के पश्चात् व सलाहकार समिति को परामर्श के पश्चात् यदि समुचित प्राधिकारी इस तथ्य से संतुष्ट हो जाते हैं कि इस अधिनियम के किसी प्रावधान या नियम का उल्लंघन हुआ है तो बगैर किसी आपराधिक कार्यवाही के पूर्वाग्रह में वह ऐसे रजिस्टर्ड केन्द्र, प्रयोगशाला या क्लिनिक का पंजीयन ऐसे समय के लिये जैसा उचित समझे, निलम्बित कर सकते हैं या उसका पंजीयन निरस्त कर सकते हैं, जैसा भी मामला हो।

(3) उपधारा (1) और (2) में किसी भी बात के अंतर्विष्ट होते हुए यदि समुचित प्राधिकारी की राय में यह आवश्यक या समीचीन है कि लोकहित में ऐसा किया जाना अनिवार्य है तो वह कारणों को लिपिबद्ध करते हुए किसी भी आनुवंशिक परामर्श केन्द्र, आनुवंशिक प्रयोगशाला या आनुवंशिक क्लिनिक को उपधारा (1) में निर्दिष्ट सूचनापत्र के जारी किये बिना उसका पंजीयन निरस्त कर सकते हैं।

21. अपील— आनुवंशिक परामर्श केन्द्र, आनुवंशिक प्रयोगशाला व आनुवंशिक क्लिनिक जिसका पंजीयन निरस्त या निलम्बन आदेश जो कि धारा 20 के अंतर्गत समुचित प्राधिकारी द्वारा पारित किया गया है, प्राप्ति दिनांक से 30 दिन के भीतर अपील ऐसे आदेश के विरुद्ध—

(i) केन्द्र सरकार को जहाँ कि अपील केन्द्रीय समुचित प्राधिकारी के विरुद्ध की जानी है;

(ii) राज्य सरकार को जहाँ कि अपील राज्य समुचित प्राधिकारी के विरुद्ध की जानी है;

विहित रीति से की जावेगी।

अध्याय - 7

अपराध व शास्ति

[1][**22. गर्भधारण पूर्व और प्रसूति पूर्व लिंग निर्धारण से संबंधित विज्ञापन का प्रतिषेध तथा उल्लंघन होने पर दण्ड—** (1) कोई भी व्यक्ति, संगठन, आनुवंशिक परामर्श केन्द्र, आनुवंशिक प्रयोगशाला या आनुवंशिक क्लिनिक, जिसमें क्लिनिक, प्रयोगशाला या केन्द्र जिसके पास अल्ट्रासाउण्ड मशीन, इमेजिंग मशीन या स्कैनर या कोई ऐसी तकनीकी जो गर्भस्थ शिशु का लिंग निर्धारण या लिंग चयन करने में समर्थ हो, प्रसूति पूर्व लिंग निर्धारण या गर्भधारण पूर्व लिंग चयन संबंधी सुविधाएँ ऐसे केन्द्र, प्रयोगशाला, क्लिनिक या कोई अन्य स्थान पर उपलब्ध हैं, कोई भी विज्ञापन किसी भी रूप में, जिसमें इंटरनेट भी सम्मिलित है, न तो जारी, प्रकाशित, वितरित, प्रसारित सकेगा और न ही जारी, प्रकाशित, वितरित या प्रसारित करने का यत्न कर सकेगा।

(2) कोई भी व्यक्ति या संगठन, जिसमें आनुवंशिक परामर्श केन्द्र, आनुवंशिक प्रयोगशाला या आनुवंशिक क्लिनिक भी सम्मिलित है, प्रसूति पूर्व लिंग निर्धारण या गर्भधारण पूर्व लिंग चयन, चाहे किसी भी प्रकार, वैज्ञानिक या अन्य प्रकार से हो, से संबंधित विज्ञापन किसी भी प्रकार से न तो जारी, प्रकाशित, वितरित, प्रसारित कर सकेगा और न ही जारी, प्रकाशित, वितरित या प्रसारित करने का यत्न कर सकेगा।

(3) कोई भी व्यक्ति जो उपधारा (1) या उपधारा (2) के प्रावधानों का उल्लंघन करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक हो सकती है तथा जुर्माने से, जो दस हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

स्पष्टीकरण.— इस धारा के प्रयोजनों के लिये, विज्ञापन में, कोई सूचना, परिपत्र, लेबल, रैपर या कोई अन्य दस्तावेज, जिसमें इंटरनेट या कोई अन्य इलैक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट स्वरूप का, और होर्डिंग्स, वॉल-पेंटिंग, सिग्नल, प्रकाश ध्वनि, धुआँ या गैस से होने वाले दृश्य प्रसारण के विज्ञापन, सम्मिलित हैं।]

23. अपराध व शास्ति— (1) कोई चिकित्सकीय आनुवंशिक विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, पंजीकृत चिकित्सी व्यवसायी या कोई व्यक्ति जिसका स्वयं का आनुवंशिक परामर्श केन्द्र, आनुवंशिक प्रयोगशाला या आनुवंशिक क्लिनिक या ऐसे आनुवंशिक परामर्श केन्द्र, आनुवंशिक प्रयोगशाला या क्लिनिक को अपनी तकनीकी या व्यवसायिक सेवायें नियुक्ति पर प्रदान करता है चाहे ऐसा वह अवैतनिक या अन्यथा करता है, और इस अधिनियम के प्रावधान या किसी नियम का उल्लंघन करता है वह तीन वर्ष तक के कारावास से व दस हजार रुपये तक के अर्थदण्ड से दंडित किया जावेगा तथा पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि पर पाँच वर्ष तक का कारावास तथा पचास हजार रुपये तक के कारावास से दंडित किया जावेगा।

[1][(2) पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी का नाम, समुचित प्राधिकारी द्वारा संबंधित राज्य चिकित्सा परिषद को आवश्यक कार्यवाही, जिसमें यदि न्यायालय द्वारा आरोप विरचना कर ली गई हो तो प्रकरण के निपटारे तक निलंबन तथा दोषसिद्धि होने पर, परिषद की पंजी से प्रथम अपराध की दशा में पाँच वर्ष के लिये तथा अपराध की पुनरावृत्ति होने पर स्थायी रूप से हटा दिया जायेगा।

(3) कोई व्यक्ति जो धारा 4 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट उपबंधों को छोड़कर, किसी गर्भवती महिला का लिंग चयन या प्रसूति पूर्व परीक्षण तकनीक के प्रयोग के लिये किसी आनुवंशिक परामर्श केन्द्र, आनुवंशिक प्रयोगशाला, आनुवंशिक क्लिनिक या अल्ट्रासाउण्ड क्लिनिक या इमेजिंग क्लिनिक या किसी चिकित्सा आनुवंशिकविद, गायनेकोलॉजिस्ट, सोनोलॉजिस्ट या इमेजिंग विशेषज्ञ या पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी या किसी अन्य व्यक्ति की सहायता प्राप्त करता है तो प्रथम अपराध की दशा में वह कारावास से, जो तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है तथा जुर्माने से, जो पचास हजार रुपये तक बढ़ाया जा सकता है तथा अपराध की पुनरावृत्ति होने पर कारावास से, जो पांच वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है तथा जुर्माने से जो एक लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है, दण्डनीय होगा।

(4) संदेह के निवारण के लिये, यह प्रावधान किया गया है कि उपधारा (3) के प्रावधान उस महिला पर लागू नहीं होंगे जिसे ऐसी परीक्षण तकनीक या ऐसे चयन के लिये मजबूर किया गया हो।]

[1][**24. प्रसूति पूर्व परीक्षण तकनीक के संचालन की दशा में संभाव्यता.—** भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) में उपबंधित को छोड़कर, यदि न्यायालय का, जब तक कि अन्यथा साबित न हो जाए, यह विश्वास हो जाता है कि गर्भवती महिला को उसको पति या अन्य रिश्तेदार द्वारा, जैसा भी मामला हो, प्रसूति पूर्व परीक्षण तकनीक के संचालन के लिये, धारा 4 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों को छोड़कर, मजबूर किया गया है, तो ऐसा व्यक्ति धारा 23 की उपधारा (3) के अधीन प्रेरित करने के अपराध का दायी होगा तथा उस धारा में विनिर्दिष्ट किए अनुसार दण्डनीय होगा।]

25. अधिनियम या नियमों के उन प्रावधानों के उल्लंघन के लिये दंड जिनके उल्लंघन पर कोई दंड निर्दिष्ट नहीं है— जो कोई इस अधिनियम के किसी प्रावधान या किसी नियमों को बारे में स्पष्ट रूप से कोई दंड कहीं भी उपबंधित नहीं है। वह तीन माह तक के कारावास व अर्थ दंड से जो कि 1000 रुपये तक हो सकता है या दोनों से दंडित किया जा सकता है। तथा लगातार उल्लंघन होने की दशा में 500 रुपये प्रतिदिन से जब तक ऐसा अपराध प्रथम अपराध के दोषसिद्धि होने की दशा में लगातार होता है।

26. कम्पनी द्वारा अपराध— जहाँ पर कि कोई अपराध इस अधिनियम में दंडनीय है और एक कम्पनी द्वारा किया जाता है, तब प्रत्येक व्यक्ति जो कि अपराध के घटित होते समय कम्पनी का प्रभारी था और कम्पनी के कारोबार का जिम्मेदार था उसी प्रकार उस अपराध के लिये व उसी प्रकार कम्पनी भी उस अपराध की दोषी मानी जावेगी और उसके विरुद्ध कार्यवाही कर तद्नुसार दंड के योग्य होगी :

परन्तु इस उपधारा में ऐसा कुछ भी उपबन्धित नहीं कि कोई ऐसा दंड के योग्य व्यक्ति है, यदि यह सिद्ध करता है कि अपराध उसके ज्ञान के बिना या उसने उसको रोकने के सम्यक् प्रयास किये थे या उसने उस अपराध को रोकने के सम्पूर्ण सम्यक् उपाय किये गये।

(2) उपधारा (1) में ऐसा कुछ भी अन्तर्विष्ट नहीं है कि इस अधिनियम में वर्णित कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया जाता है तथा यह साबित कर दिया जाता है अपराध कम्पनी के ऐसे निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति उसे लाभ या उसमें उसकी लापरवाही थी तो उसे दोषी माना जावेगा व उसके विरुद्ध कार्यवाही कर उसे तद्नुसार दंडित किया जावेगा।

स्पष्टीकरण— इस धारा के उद्देश्य के लिये—

(क) कम्पनी से अर्थ को निगमित निकाय और फर्म या अन्य पृथकों का समूह भी शामिल है;

(ख) निदेशक से अन्य किसी फर्म के संदर्भ में फर्म के भागीदार।

27. अपराध का संज्ञेय, अजमानतीय व अशमनीय होना— इस अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक अपराध संज्ञेय, अजमानतीय व अशमनीय होगा।

28. अपराधों का संज्ञान— (1) कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध का संज्ञान सिवाय निम्न के लिखित परिवाद की प्रस्तुति के नहीं करेगा—

(क) संबंधित समुचित प्राधिकारी या केन्द्र सरकार द्वारा इस बारे में प्राधिकृत व्यक्ति के या राज्य सरकार के, जैसा भी मामला हो या समुचित प्राधिकारी के;

(ख) किसी व्यक्ति के जिसने कि विहित रीति से समुचित प्राधिकारी को लिखित रूप से सूचना पत्र, दंडित [1][15 दिन] से कम की अवधि का अभिकथित अपराध और इस पर न्यायालय में अपना आशय न्यायालय परिवाद प्रस्तुत करने का किया हो।

स्पष्टीकरण— इस खंड के उद्देश्यों के लिये व्यक्ति के अंतर्गत सामाजिक संगठन भी सम्मिलित है।

(2) मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय से भिन्न कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अपराध का विचारण व दंड नहीं दे सकेंगे।

(3) जहाँ कि कोई शिकायत उपधारा (1) के खंड (2) के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है ऐसे व्यक्ति द्वारा और किये जाने पर न्यायालय समुचित प्राधिकारी को ऐसे व्यक्ति को उपलब्ध दस्तावेजों व सुसंगत अभिलेख जो उसके आधिपत्य में दिये जाने का आदेश दे सकता है।

अध्याय - 8

विविध

29. अभिलेख का रखा जाना— (1) समस्त अभिलेख, लेखाचित्र प्रारूप, प्रतिवेदन, सहमति पत्रों और अन्य सभी इस अधिनियम व नियमों में आवश्यक दस्तावेजों को दो वर्षों तक या ऐसे समय तक, जैसा कि विहित किया जावे, रखा जावेगा :

परन्तु यदि कोई अपराधिक या अन्य कार्यवाही किसी आनुवंशिक प्रयोगशाला, आनुवंशिक परामर्श केन्द्र या आनुवंशिक क्लिनिक के विरुद्ध चल रही है तो, ऐसे दस्तावेज मामले के अंतिम निराकरण तक

सुरक्षित रखे जावेंगे।

(2) सभी अभिलेख सभी उपयुक्त समय में समुचित प्राधिकारी या इस बारे में समुचित प्राधिकारी द्वारा नियुक्त अन्य व्यक्ति के निरीक्षण के लिये उपलब्ध रहेंगे।

30. अभिलेख की तलाशी व जप्ती इत्यादि की शक्ति– [1][यदि समुचित प्राधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी आनुवंशिक परामर्श केन्द्र, आनुवंशिक प्रयोगशाला, आनुवंशिक क्लिनिक या किसी अन्य स्थान पर किया गया है या किसी जा रहा है तो ऐसा प्राधिकारी या अन्य कोई अधिकारी, जिसे इस निमित्त अधिकृत किया गया हो, ऐसे नियमों के पालन में जो विहित किए जाएँ, ऐसे आनुवंशिक परामर्श केन्द्र, आनुवंशिक प्रयोगशाला, आनुवंशिक क्लिनिक या कोई अन्य स्थान पर किसी भी उपयुक्त समय पर, ऐसी सहायता के साथ, यदि कोई हो, जो ऐसे प्राधिकारी या अधिकारी को आवश्यक प्रतीत होती हो, प्रविष्ट हो सकेगा तथा तलाशी ले सकेगा और कोई अभिलेख, पंजी, दस्तावेज, पुस्तक, पैम्फलेट, विज्ञापन या कोई अन्य तात्विक वस्तु जो वहाँ पायी जाएँ, की जांच कर सकेगा तथा यदि ऐसे प्राधिकारी या अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि ये इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध के करने में साक्ष्य बन सकते हैं तो उन्हें सील कर सकेगा।]

(2) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में तलाशी व जब्ती के प्रावधान इस अधिनियम के अंतर्गत की गई जब्ती व तलाशी पर जहाँ तक हो, लागू होंगे।

31. सद्भावना में की गई कार्यवाही के विरुद्ध सुरक्षा– केन्द्र या राज्य सरकार या समुचित प्राधिकारी या समुचित प्राधिकारी या केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति या समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकृत व्यक्ति के द्वारा सद्भावना में या इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किये गये कार्यों के विरुद्ध कोई वाद या अभियोजन या कानूनी कार्यवाही प्रस्तुत नहीं की जा सकेगी।

[2][**31-क. कठिनाईयों का निवारण** – (1) यदि यदि प्रसूति पूर्व निदान तकनीक (विनियमन व दुरुपयोग का निवारण) संशोधन अधिनियम, 2002 के प्रावधानों को लागू करने में कोई कठिनाई उद्भूत होती है तो केन्द्र सरकार सरकारी राजपत्र में आदेश द्वारा ऐसे प्रावधान प्रकाशित कर सकेगी जो उक्त अधिनियम के प्रावधानों से असंगत न हों तथा कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रकट हों :

परन्तु यह कि इस धारा के अधीन कोई भी आदेश, प्रसूति पूर्व निदान तकनीक (विनियमन व दुरुपयोग का निवारण) संशोधन अधिनियम, 2002 के प्रभावशील होने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि व्यतीत हो जाने के बाद जारी नहीं किया जा सकेगा।

(2) इस धारा के अधीन जारी किया गया कोई भी आदेश उसके जारी होने के बाद यथाशीघ्र संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखा जाएगा।]

32. नियम बनाने की शक्ति– (1) केन्द्र सरकार इस अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के अनुपालन के लिये नियम बना सकती है।

(2) उपरोक्त प्रावधानों की व्यापकता के लिये विवरण व बिना पूर्वाग्रह के ऐसे नियमों को बना सकती है, मुख्यतः —

[2][(i) धारा 3 के खण्ड (2) के अंतर्गत पंजीकृत आनुवंशिक परामर्श केन्द्र, आनुवंशिक प्रयोगशाला या आनुवंशिक क्लिनिक में नियोजित कर्मचारियों की न्यूनतम योग्यताओं के बारे में;]

[1][(iक) धारा 4 की उपधारा (3) के परन्तुक के अंतर्गत व्यक्ति, जो किसी गर्भवती महिला की

1. अधिनियम क्र. 14 सन् 2003 द्वारा अंतःस्थापित।

अल्ट्रासोनोग्राफी करता है उसका क्लिनिक में अभिलेख रखने के तरीके के बारे में;]

(ii) धारा 5 के अंतर्गत गर्भवती महिला की सहमति प्राप्त करने के प्रारूप के बारे में;

(iii) धारा 8 की उपधारा (4) के अंतर्गत केन्द्रीय पर्यवेक्षकीय बोर्ड के सदस्यों द्वारा अपने कर्त्तव्यों के अनुपालन के बारे में प्रक्रिया के निर्धारण हेतु;

(iv) धारा (9) की उपधारा (5) के अंतर्गत पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों के ग्राह्य भत्तों के बारे में;

[1][(iv-क) धारा 16 के खण्ड (iv) के अंतर्गत केन्द्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड द्वारा बनायी गई आचार संहिता के आनुवंशिक परामर्श केन्द्रों, आनुवंशिक प्रयोगशालाओं, आनुवंशिक क्लिनिकों में कार्य करने वाले व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण के बारे में;

(iv-ख) अधिनियम की धारा 16-क की उपधारा (1) के खण्ड (iv) के अंतर्गत राज्य द्वारा अनुकूलित किए गए विभिन्न कार्यकलापों संबंधी राज्य तथा केन्द्र शासित प्रदेश पर्यवेक्षण बोर्ड द्वारा तैयार रिपोर्ट बोर्ड तथा केन्द्र सरकार को भेजने के तरीके के बारे में;

(iv-ग) धारा 17-क के खण्ड (घ) के अंतर्गत समुचित प्राधिकारी को किसी अन्य मामले में सशक्त करने के बारे में।]

(v) धारा 17 की उपधारा (8) के अंतर्गत सलाहकार समिति की दो सभाओं के मध्यांतर के बारे में;

(vi) धारा 17 की उपधारा (9) के अंतर्गत सलाहकार समिति के एक सदस्य की नियुक्ति की जा सकती है तथा सलाहकार समिति द्वारा अपनायी जाने वाली प्रक्रिया के अनुसरण के बारे में;

(vii) धारा 18 की उपधारा (2) के अंतर्गत पंजीयन हेतु प्रस्तुत आवेदन का प्रारूप वर्णित तथा उस पर देय शुल्क;

(viii) धारा 18 की उपधारा (2) के अंतर्गत आनुवंशिक परामर्श केन्द्र, आनुवंशिक प्रयोगशाला व आनुवंशिक क्लिनिक को उपबंधित की जाने वाली सुविधायें उपकरण व अन्य स्तर जो कि बनाये जाने हैं, के बारे में;

(ix) धारा 19 की उपधारा (1) के अंतर्गत पंजीयन का प्रमाणपत्र जारी करने का प्रारूप;

(x) धारा 19 की उपधारा (3) के अंतर्गत वह समय व रीति जिसके पश्चात् ऐसे पंजीयन का नवीनीकरण होना है व उस पर देय शुल्क के बारे में;

(xi) धारा 21 के अंतर्गत अपील प्रस्तुत करने की रीति;

(xii) धारा 29 की उपधारा (1) के अंतर्गत उस समय जिसमें कि अभिलेख, लेखांकित इत्यादि रखा जाना है;

(xiii) धारा 30 की उपधारा (i) के अंतर्गत उस रीति के बारे में जिसके कि दस्तावेजों, अभिलेखों, उद्देश्य इत्यादि बनाये जाने हैं, वह रीति जिसके जब्ती की सूची तैयार करना व उस व्यक्ति जिसे कि ऐसे दस्तावेज अभिलेख, उद्देश्य की सूची उसे दी जानी है।

(xiv) अन्य मामले जो कि जो कि अपेक्षित हों या किये जा सकते हों, उन्हें विहित किये जाने के बारे में।

33. विनियम बनाने की शक्ति— मंडल केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से राजकीय राजपत्र में अधिसूचना जारी करके इस अधिनियम के प्रावधानों व इसके अंतर्गत बनाये गये नियमों के असंगत नहीं है, ऐसे नियम उपबंधित कर सकती है।

(क) बोर्ड की सभा और कारोबार के संचालन हेतु अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया सदस्यों की संपूर्ति के लिये सदस्यों के बारे में;

(ख) धारा 11 की उपधारा (i) के अंतर्गत बोर्ड के साथ अस्थायी रूप से जुड़ने वाले सदस्यों के लिये रीति;

(ग) धारा 12 के अंतर्गत बोर्ड में नियुक्त अधिकारियों के नियुक्ति की रीति सेवा की शर्त व अधिकारी व अन्य कर्मचारियों के वेतनमान व भत्ते;

(घ) बोर्ड के सामान्य मामलों को सुचारु रूप से चलाने की सामान्यता के लिये।

34. नियमों व विनियमों का संसद के समक्ष रखा जाना— प्रत्येक नियमों विनियम को बनाये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र 30 दिनों के भीतर संसद के प्रत्येक सदन में रखा जावेगा जबकि सत्र चल रहा है, व 30 दिन की अधिक हेतु रखा जावेगा। यह अवधि एक या दो या अधिक उत्तरवर्ती सत्रों में हो सकेगी। यदि उस सत्र के पूर्व या क्रमिक सत्रों की समाप्ति के पूर्व दोनों सदन इस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिये सहमति प्रकट करते हैं तो वह ऐसे परिवर्तन के बाद प्रभावी होगा यदि सत्र समाप्ति के पूर्व सदनों द्वारा यह सहमति प्रकट की जाती है कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिये तो वह तत्काल निष्प्रभाव माना जावेगा किन्तु ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभावीकरण से इन नियमों के अंतर्गत की गई कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा।

गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) नियम, 1996

केन्द्रीय सरकार, प्रसव-पूर्व निदान तकनीक (विनियमन और दुरुपयोग निवारण) अधिनियम, 1994 (1994 का 57) की धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ— [1][(1) इन नियमों को गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) नियम, 1996 कहा जायेगा।]

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएँ— इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) **''अधिनियम''** से प्रसवपूर्व निदान तकनीक (विनियमन और दुरुपयोग निवारण) अधिनियम, 1994 (1994 का 57)* अभिप्रेत है;

(ख) **''कर्मचारी''** से किसी [3][आनुवंशिक परामर्श केन्द्र, आनुवंशिक प्रयोगशाला, आनुवंशिक क्लिनिक, अल्ट्रासाउंड क्लिनिक और इमेजिंग केन्द्र] में कार्यरत अथवा नियोजित व्यक्ति अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत वे भी हैं जो अंशकालिक, संविदात्मक, परामर्शी, अवैतनिक आधार पर या किसी अन्य आधार पर कार्य कर रहे हैं;

(ग) ''प्ररूप'' से इन नियमों से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है;

(घ) [2][* * * *]

(ङ) ''धारा'' से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;

(च) उन शब्दों और पदों के जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में है।

[3][**3.** किसी आनुवंशिक परामर्श केन्द्र, आनुवंशिक प्रयोगशाला, आनुवंशिक क्लीनिक, अल्ट्रासाउण्ड क्लीनिक और इमेजिंग केन्द्र के लिये कर्मचारियों की अर्हताएँ, उपस्कर की अपेक्षा आदि निम्नवत होंगी :

(1) कोई व्यक्ति, जो—

(i) स्त्री रोग विशेषज्ञ या बाल चिकित्सक है या उसे नियोजित करता है और उसे आनुवंशिक परामर्श में छह मास का अनुभव है या जिसने आनुवंशिक परामर्श में चार सप्ताह का प्रशिक्षण पूरा किया है, या

(ii) चिकित्सा आनुवंशिक विद है या उसे नियोजित करता है और जिसके पास आनुवंशिक परामर्श देने के लिये पर्याप्त स्थान और शैक्षणिक चार्ट/माडल/उपस्कर हैं, उसे आनुवंशिक परामर्श केन्द्र के रूप में रजिस्ट्रीकृत करा सकेगा;

(2)(क) कोई व्यक्ति जिसके पास पर्याप्त स्थान है और जो,—

(i) चिकित्सा आनुवंशिक विद है या उसे नियोजित करता है, और

---

1. अधिसूचना क्र. सा.का.नि. 109 (अ) दिनांक 14 फरवरी, 2003 द्वारा प्रतिस्थापित।
* अब गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994।
2. अधिसूचना क्र. सा.का.नि. 109 (अ) दिनांक 14 फरवरी, 2003 द्वारा विलोपित।

(ii) प्रयोगशाला तकनीशियन, जिसके पास जीव विज्ञान में बीएससी डिग्री हो या जिसने चिकित्सा प्रयोगशाला पाठ्यक्रम में डिग्री या डिप्लोमा लिया हो और उपयुक्त प्रसव पूर्व निदान परीक्षण तकनीक, परीक्षण या प्रक्रियाओं में कम से कम एक वर्ष का अनुभव है, या उसे नियोजित करता है,

आनुवंशिक प्रयोगशाला स्थापित कर सकेगा।

(ख) ऐसी प्रयोगशाला में गुणसूत्री अध्ययन, जैव रासायनिक अध्ययन या आनुवंशिक अध्ययन करने के लिये निम्नलिखित में से ऐसे उपस्कर, जो आवश्यक हों, होने चाहिये या अर्जित किए जाने चाहिये:—

(i) गुणसूत्री अध्ययन—

(1) पराबैंगनी और प्रतिदीप्ति प्रकाश सहित पटलीय प्रावह हुड या अन्य उपयुक्त संवर्धन हुड;
(2) प्रकाश के प्रतिदीप्ति स्रोत सहित फोटो सूक्ष्मदर्शी;
(3) प्रतिलोमित सूक्ष्मदर्शी;
(4) ऊष्मायित्र और भट्टी;
(5) कार्बन डाईऑक्साइड उष्मायित्र या 5 प्रतिशत सी.ओ. 2 वातावरण सहित बंद तंत्र;
(6) ऑटोक्लेव;
(7) प्रशीतक;
(8) जल स्नान;
(9) अपकेन्द्रित्र;
(10) वोर्टेक्स मिश्रक;
(11) चुम्बकीय विलोड़क;
(12) पी.एच. मीटर;
(13) 0.1 मिलीग्राम की सूक्ष्मग्रहिता सहित सूक्ष्मग्राही तुला (अधिमानतः इलेक्ट्रानिक);
(14) द्वि आसवन साधित्र (शीशा);
(15) ऐसे अन्य उपस्कर, जो आवश्यक हों।

(ii) जैव-रासायनिक अध्ययन
(किए जाने वाले परीक्षणों के अनुसार अपेक्षाएँ)

(1) पराबैंगनी और प्रतिदीप्ति सहित पटलीय प्रवाह हुड या अन्य उपयुक्त संवर्धन हुड;
(2) प्रतिलोमित सूक्ष्मदर्शी;
(3) ऊष्मायित्र और भट्टी;
(4) कार्बन डाईऑक्साइड ऊष्मायित्र या 5 प्रतिशत सी.ओ. 2 वातावरण सहित बंद तंत्र;
(6) प्रशीतक;
(7) जल स्नान
(8) अपकेन्द्रित्र;
(9) इलेक्ट्रोफोरेसिस साधित्र और शक्ति आपूर्ति;
(10) क्रोमेटोग्राफी चैम्बर;
(11) विभिन्न जैव रासायनिक परीक्षणों के लिये स्पेक्ट्रोफोटोमीटर और इलिसा रीडर या रेडियो-इम्युनोएस्से प्रणाली (गामा बीटा काउन्टर सहित) या फ्लुओरीमीटर;
(12) वोर्टेक्स मिश्रक;
(13) चुम्बकीय विलोड़क;
(14) पी.एच. मीटर;
(15) 0.1 मिलीग्राम की सूक्ष्मग्रहिता सहित सूक्ष्मग्राही तुला (अधिमानतः इलेक्ट्रानिक);
(16) द्वि आसवन साधित्र (शीशा);
(17) द्रव नाइट्रोजन टैंक;
(18) ऐसे अन्य उपस्कर, जो आवश्यक हों।

(iii) आण्विक अध्ययन—

(1) प्रतिलोमित सूक्ष्मदर्शी;
(2) ऊष्मायित्र;
(3) भट्टी;
(4) ऑटोक्लेव;
(5) प्रशीतक (4 डिग्री और माइनस 20 डिग्री सेंटिग्रेड);
(6) जल स्नान;
(7) सूक्ष्म अपकेन्द्रित्र;
(8) इलेक्ट्रोफोरेसिस साधित्र और शक्ति आपूर्ति;
(9) वोर्टेक्स मिश्रक;
(10) चुम्बकीय विलोड़क;
(11) पी.एच. मीटर;
(12) 0.1 मिलीग्राम की सूक्ष्मग्रहिता सहित सूक्ष्मग्राही तुला (अधिमानतः इलेक्ट्रानिक);
(13) द्वि आसवन साधित्र (शीशा);
(14) पी.सी.आर. मशीन;
(15) प्रशीतक अपकेन्द्रित्र;
(16) फोटोग्राफिक अटेचमेंट सहित यू.वी. इल्यूमीनेटर या अन्य प्रलेखन प्रणाली;